दिनांक 15.09.2014 को 4 बजे अपराह्न में संयुक्त सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में राज्य योजनान्तर्गत कृषि में सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी कार्यक्रम में संलग्न 60 कम्प्युटर ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित विषय पर आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : निदेशक, पी०पी०एम०, उप कृषि निदेशक(सूचना), निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, एवं प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग।

राज्य योजनान्तर्गत कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के व्यवहार के प्रोत्साहन की योजना वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत की गई थी। योजना कार्यान्वयन के लिए 60 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रॉन से कृषि विभाग में ली गई है। इन कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय का भुगतान हेतु राशि की स्वीकृति ''कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण'' योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से की जा रही थी। संबंधित राज्यादेश पी.पी.एम. कोषांग से निर्गत किया जा रहा था। प्रधान सचिव महोदय के आदेश के आलोक में विभागीय योजनाओं की स्वीकृति संबंधित योजना एवं नोडल/प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। संगत योजना के नोडल पदाधिकारी, उप कृषि निदेशक (सूचना) हैं। अतः इस योजना के तहत सेवा में लिए गये कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान हेतु अधियाचित राशि से संबंधित सूचना उप कृषि निदेशक (सूचना) को स्वीकृति हेतु अग्रसारित की गई। उप कृषि निदेशक (सूचना) द्वारा इन कम्प्युटर ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान ''व्यवसायिक एवं विशेष सेवा'' मद से किंये जाने का परामर्श दिया गया। वर्तमान समय में इस योजना के तहत सेवा में लिए गये कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यरत हैं किन्तु योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण इन्हें वेतनादि का भुगतान नहीं हो रहा है। तदनुसार इस बैठक में इनके वेतनादि के भुगतान के संबंध में निम्नवत चर्चा हुई :–

निदेशक, पी०पी०एम० द्वारा स्पष्ट किया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों के ये पद जिलावार एक योजनान्तर्गत स्वीकृत हैं। विगत चार वर्षों से इनके मानदेय का भुगतान ''कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण'' योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से की जा रही हैं। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष भी योजना की स्वीकृति प्रदान की जाय ताकि इनके मानदेय का भुगतान किया जा सके।

उप कृषि निदेशक (सूचना) द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि इनके मानदेय का भुगतान ''व्यवसायिक एवं विशेष सेवा'' मद से किया जाय।

तदनुसार सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रधान सचिव महोदय को विषय वस्तु से अवगत करांया जाय तथा आवश्यक आदेश प्राप्त किया जाय।

17/9/14

(रामजी सिंह)
संयुक्त सचिव